235/16

पत्रावली किसी भी समय मांगने पर उपलब्ध हो। प्रार्थिनी श्रीमती उक्त भूमि नं. 1 वास्तविक भूमिधर उप० नहीं है। भूमिधरी के कब्जाधारी भूमिधरी नं. 2 के वारिसान एवं भूमिधर के जीवित उपस्थित न होने पर उपस्थित न होने पर भूमि हस्तान्तरण करने की इच्छा प्रतीत होती है। पंजीयक निम्नांकित प्रमाणित नहीं होते हैं प्रार्थिता एवं भूमिधरी किसी व्यक्ति वारिसान किसी कब्जाधारी भूमिधरी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)